निर्णय ब इजलास अन्तर सिह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 100/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. नाथू
2. रघुनाथ पुत्रान मांगू जाति माली, निवासी गोपाल नगर, तहसील फागी, जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री ओम प्रकाश शर्मा आर॰ए॰एस॰ सहायक कलक्टर फागी, जिला जयपुर ।
2. रामनारायण पुत्र मांगू जाति माली, निवासी गोपाल नगर, तहसील फागी, जिला जयपुर ।
3. मनभर पुत्री मांगू पत्नी नाथू जाति माली निवासी रामपुरा रेलवे, तहसील फागी, जिला जयपुर
4. तहसीलदार फागी, जिला जयपुर ।
5. उप पंजीयक फागी, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिला प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय सहायक कलक्टर फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 38/2016 ब उनवानी रामनारायण बनाम नाथू व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री सुबोध कुमार जैन अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री हनुमान सहाय सिहाग अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 12.01.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर फागी के समक्ष प्रकरण संख्या 38/2016 ब उनवानी रामनारायण बनाम नाथू व अन्य बाबत वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर फागी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। विपक्षी संख्या 2 की ओर श्री हनुमान सहाय सिहाग अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा जल्दी जल्दी कार्यवाही कर कोरोना काल मे ही प्रार्थी प्रतिवादी के वकील को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने जबरन बहस के लिए बाध्य कर दिया और हर पेशी पर एलानियां यह कहते है कि मामले में कुछ नही है वादी का वाद साबित है । प्रतिवादीगण जबरदस्ती प्रकरण को डिले करना चाहते है। इसी तरीके का हर पेशी

जिला कलक्टर
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

पर अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी का तथा विपक्षी वादी और वादी के वकील का रवैया रहता है। दिनांक 5.11.2020 से 12.11.2020 व 20.11.2020 की तारीख दी गई। दिनांक 12.11.2020 को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने बड़े ही ताव में आकर वकील प्रतिवादी को कहा कि इसमें बहस कर लो नहीं तो मैं आज ही फैसला कर दूंगा। जो होगा वो होगा। वकील प्रतिवादी ने बड़े ही नम्र स्वभाव से निवेदन किया कि प्रकरण इतने दिनों से विचाराधीन है। कोरोना काल चल रहा है, तबीयत पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, एक महिने की तारीख दे दी जावे। इस पर अधिकारी आग बबूला हो गये और नाराज हो गये और ताव खा कर दिनांक 20.11.2020 की तारीख दी। दिनांक 20.11.2020 को वकील प्रतिवादी ने अपनी शारीरिक अस्वस्थता के कारण तथा कोरोना काल में गाईड लाईन का हवाला देते हुये तारीख मांगी तो पीठासीन अधिकारी ने कोई तारीख नहीं दी और वकील वादी की बहस सुनना प्रारम्भ कर दिया और प्रतिवादी की एक नहीं सुनी और जल्दबाजी में मुकम्मिल लिखाई व पत्रावली देखे बिना ही आदेश की तारीख 04.12.2020 नियत कर दी। दिनांक 20.11.2020 को पीठासीन अधिकारी जब न्यायालय में आने से पूर्व अपने चैम्बर में विराजे थे, उस समय वकील वादी अपने मुवक्किल के साथ चैम्बर से बाहर आये और बड़े हंसी के साथ एलानिया वार्तालाप की कि साहब से बात हो गई है, आज फैसला हो जायेगा। वादी के पक्ष में निर्णय होकर प्रकरण समाप्त हो जायेगा। प्रार्थी–प्रतिवादी वकील के मन में पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यवाही के दौरान शंका पैदा हो गई और न्याय मिलने में स्वच्छता का अभाव महसूस करने लगे। इससे प्रार्थी–प्रतिवादी को प्रकरण का अन्तिम निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से ना करा कर सक्षम अन्य अधिकारी से कराने के लिए विवश होना पड़ा। जिससे यह आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अतः उक्त प्रकरण को न्यायालय सहायक कलक्टर फागी से किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि कोरोना की गाईड लाईन की पालना करते हुये पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरणों में सुनवाई की जा रही है। केवल मात्र कोरोना को आधार बना कर प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने की नियत से यह मुन्ताकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः मुन्ताकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से परिलक्षित होता है कि सहायक कलक्टर फागी के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्ताकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर फागी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

14/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर